स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0जी0एस0वाई0)

केन्द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 से पूर्व संचालित 06 योजनाओं यथा– एकीकृत ग्राम विकास, ट्राइसेम, ड्वाकरा, उन्न्त टूल किट्स, गंगा कल्याण एवं दस लाख कूप योजना को समाहित कर स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गयी है। यह स्वरोजगार का एक नया कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छोटे उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक सहायतित परिवार को तीन वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से इस प्रकार ऊपर उठाना है कि प्रत्येक स्वरोजगारी परिवार को 2000.00 रू0 प्रति माह की शुद्ध आमदनी हो सके।

योजना के अन्तर्गत पात्रता –

ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार योजना के लक्ष्य समूह में होंगे। प्रत्येक वर्ष के लाभार्थी परिवारों में से कम से कम 50 प्रतिशत अनु0जाति, 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगों का चयन किया जाता है। लाभार्थी जिन्हें स्वरोजगारी कहा जाता है, व्यक्ति अथवा समूह के रूप में हो सकते हैं।

योजना का संचालन –

योजना का संचालन डी0आर0डी0ए0 द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से बैंकों, गैर सरकारी संगठनों व अन्य क्रमागत विभागों के समन्वय से किया जाता है। ग्रामसभा की खुली बैठक में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की सूची को अनुमोदित किया जाता है। प्रत्येक विकास खण्ड हेतु संसाधनों, व्यवसायिक क्षमताओं तथा विपणन की सुविधाओं पर आधारित 6–7 मुख्य क्रिया–कलापों को चिन्हित किया जाता है। क्रिया–कलापों का चयन विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जनपद स्तर पर डी0आर0डी0ए0 के अनुमोदन पर आधारित होगा।

योजना संचालन में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका –

योजना का क्रियान्वयन समूहों के माध्यम से किया जाता है। अतः समूहों का गठन विकास व सशक्तीकरण अति महत्वपूर्ण कार्य होगा। स्वयं सहायता समूह ग्रामीणों का एक ऐसा समूह होगा जिसमें गरीबों ने गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से स्वयं अपने को संगठित कर रखा है। यह समूह नियमित रूप से बचत करेंगे तथा अपने एक सामूहिक निधि तथा सामूहिक प्रबन्धन का निर्माण करेंगे। यह अपेक्षा की गयी है कि 50 प्रतिशत समूह महिलाओं के होंगे। वैसे महिला या पुरुष या मिले–जुले समूह बनाए जा सकते हैं। यह स्वयं सहायता समूह अनौपचारिक संगठन होंगे तथापि इन्हें सोसाइटी पंजीकरण एक्ट तथा राज्य सहभागिता एक्ट अथवा भागीदारी फर्म के तहत भी पंजीकृत करा सकते हैं।

स्वयं सहायता समूहों का गठन व संचालन –

एक स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 तक सदस्य होंगे। लघु सिंचाई समूह व विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या न्यूनतम 5 हो सकती है। समूह में उसी परिवार के एक से अधिक सदस्य न हों तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होगा। समूह अपने को नियंत्रित करने के लिए एक आचार संहिता बनाएगा। सभी समूह सदस्य नियिमित बचत करेंगे तथा बचत की राशि समूह तय करेगा। इस प्रकार की गई बचत राशि समूह कोष होगा। समूह कोष का उपयोग सदस्यों को ऋण देने के लिए किया जाएगा। ऋण स्वीकृत प्रक्रिया, वसूली प्रक्रिया एवं ब्याज का निर्धारण समूह द्वारा किया जाएगा। समूह का एक बैंक

खाता होगा जिसमें समूह की बचत व ऋण वसूली राशि जमा होगी। समूह अपने रिकार्ड स्वयं रखेगा। यह रिकार्ड होंगे– कार्यवाही पंजिका, उपस्थिति पंजिका, ऋण लेजर कैश बुक, पासबुक व व्यक्तिगत पासबुक।

स्वयं सहायता समूहों को तीन सोपानों को पार करने के बाद ही आर्थिक सहायता मिलेगी –

प्रथम सोपान– यह स्वैच्छिक रूप से गरीबों के संगठित होने से प्रारम्भ होता है। इसकी अवधि सामान्यतः छः माह की होती है। इस दौरान समूह की मासिक बैठक, नियमित बचत तथा आवसी विश्चास व सहयोग आदि दृढ़ होते हैं। 3–4 माह में इन्हें बैंकों के सम्पर्क में लाया जाता है इससे वे बैंकों के लेन–देन के तौर–तरीकों से परिचित होते हैं।

द्वितीय सोपान– प्रत्येक स्वयं सहायता समूह जो कम से कम छः माह से अस्तित्व में है और जिसने एक सक्रिय समूह को प्रदर्शित किया है। द्वितीय सोपान में प्रवेश करता है। इस सोपान में रिवाल्विंग फण्ड मिलता है और समूह अपनी पूरी टीम निर्माण क्षमता का उपक्रम करता है।

रिवाल्विंग फण्ड के प्रबन्धन में खास बातें –

रिवाल्विंग फण्ड समूह निधि को बढ़ाने के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा न्यूनतम 5000.00 रू0 व अधिकतम 10000.00 रू0 उपलब्ध कराया जाता है, जिससे अधिक सदस्यों को ऋण उपलब्ध हो सके। समूह में रिवाल्विंग फण्ड का उपयोग उन्हीं सिद्धान्तों पर करना चाहिए जैसे अपनी निजी बचत फण्ड का किया जाता है। समूह रिवाल्विंग फण्ड का उपयोग कच्चे माल की खरीददारी, विपणन या आय सम्बन्धी गतिविधियों की बुनियादी सुविधाओं क`लिए कर सकते हैं। इसे व्यक्तिगत सदस्य के उद्देश्यों के लिए ऋण देने में भी प्रयोग किया जा सकता है। डवाकरा या अन्य कार्यक्रम में रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त समूह इस योजना के तहत रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

तृतीय सोपान– रि0फण्ड के उपयोग के परिणाम के आधार पर यह देखा जाएगा कि समूह प्रभावशाली तरीके से काम कर रहे हैं तथा उच्च स्तर के निवेश की अधिक गतिविधियां लेने में सक्षम हैं। इसे समूहों का श्रेणीकरण कहा जाएगा। इन समूहों को आगे ऋण देने की कार्यवाही बैंक के संतोष पर ही होगी।

उपर्युक्त कसौटियों पर खरा उतरने के बाद समूह को आर्थिक सहायता निम्न तरीके से दी जाएगी –

समूह में स्वरोजगारियों को योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता सहित ऋण इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाएगा कि स्वरोजगारी अपनी इच्छानुसार चयनित क्रिया–कलापों को अपनाकर प्रत्येक स्वरोजगारी तीन वर्ष में अपनी आय 2000.00 रू0 प्रति माह कर सके।

अवस्थापना सुविधा –

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत आवंटित वार्षिक परिव्यय का 20 प्रतिशत इस निधि में अलग से रखा जाता है, जो योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति में व्यय की जाती है।

अनुदान की दर –

समूह में स्वरोजगारियों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या रू0 10000.00 प्रति स्वरोजगारी या 1.25 ला0रू0 अधिकतम जो कम हो, दिया जाना अनुमन्य है।

अनुदान राशि देने का स्वरूप –

अनुदान राशि स्वरोजगारीवार अनुदान आरक्षित कोष में रखी जाएगी तथा बैक इन्ड सब्सिडी के रूप में दी जाएगी अर्थात् ऋण अदायगी के बाद अनुदान का समायोजन होगा। बैंक स्वरोजगारी को पासबुक जारी करेंगे जिसमें स्वीकृत ऋण की धनराशि अदायगी तिथियां आदि अंकित रहेंगी।

ऋण वापसी की व्यवस्था –

एस0जी0एस0वाई0 के सभी ऋणों की वापसी की अवधि कम से कम 5 वर्ष मानी जाएगी। ऋण किश्तों का निर्धारण नाबार्ड/डी0एल0सी0सी0 द्वारा अनुमोदित इकाई लागत के आधार पर किया जाएगा। बैंक द्वारा परियोजनावार निर्धारित लाक इन पीरियड से पूर्व अदायगी करने वाले स्वरोजगारी भी अनुदान के पात्र नहीं होंगे।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत योजनारम्भ में चयनित क्रियाकलापों की सूची

1. पशुपालन एवं कृषि सेवा क्षेत्र–

1. भैस एवं गाय पालन
2. सूकर पालन
3. बकरी पालन
4. भेड़ पालन
5. मधुमक्खी पालन
6. मत्स्य पालन
7. लघु सिंचाई
8. सब्जी व्यवसाय
9. उन्नत प्रमाणित बीज उत्पादन

2. उद्योग व्यवसाय एवं सेवा –

1. सुतली/मूंज से बाध
2. टेन्ट हाउस
3. दोना पत्तल
4. हथकरघा
5. जनेऊ उद्योग
6. बांस की टोकरी बनाना
7. पापड़ एवं अचार बनाना
8. टाट एवं पट्टी बनाना
9. अगरबत्ती बनाना
10. एन0एम0सी0
11. दरी बनाना
12. सीमेन्ट जाली उद्योग

नवीन चयनित क्रिया–कलापों की सूची

1. पशुपालन एवं कृषि सेवा क्षेत्र–

1. गदहा/खच्चर पालन
2. मुर्गी पालन
3. उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायन, कृषि यन्त्र विपणन एवं सेवा
4. पुष्प उत्पादन
5. मशरूम की खेती
6. मिनी राइस मिल

2. **उद्योग व्यवसाय एवं सेवा –**

1. ड्रेस डिजाइनिंग, रेडीमेड कपड़े (इम्ब्राइडरी) कपड़े व्यापार सहित
2. सर्विस सेन्टर (हैण्डपम्प, नलकूप, कृषि उपकरण मरम्मत आदि लघु व्यापार सहित)
3. जीप, कार मरम्मत एवं पुर्जे व्यापार सहित
4. ट्रैक्टर, मोटर साइकिल पुर्जे व्यवसाय सहित
5. फर्नीचर, लकड़ी के चौखट दरवाजे एवं ग्रिल मशीन आदि
6. चमड़ा/रैक्सीन आधारित सामानों का निर्माण एवं व्यवसाय
7. गुड़ उत्पादन एवं व्यवसाय
8. मोमबत्ती उत्पादन एवं व्यवसाय
9. वाशिंग पाउडर उत्पादन एवं व्यवसाय
10. टेन्ट हाउस, लाउड स्पीकर, क्राकरी सेट
11. गैसबत्ती बैण्डबाजा एवं जनरेटर सेवा
12. भवन निर्माण सामग्री एवं सेवाएं
13. नमकीन एवं पापड़ बनाना एवं व्यवसाय
14. कम्प्यूटर टाइप तथा कम्प्यूटर फोटो सेवा
15. पी0सी0ओ0, इलेक्ट्रानिक्स टाइप, वीडियोग्राफी तथा लैमिनेशन
16. बैट्री, इनवर्टर बनाना एवं मरम्मत तथा व्यवसाय
17. ढाबा
18. हेयर कटिंग सैलून

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (माह अक्टूबर 2007 तक) –

———————————————————————————

योजनान्तर्गत योजनारम्भ से कुल माह अक्टूबर 2007 तक 10532 समूह गठित हैं, जिसमें से 4597 समूहों को ग्रेड–प्रथम एवं 3787 समूहों को सी0सी0एल0, 2964 समूहों की द्वितीय ग्रेडिंग एवं 2924 समूहों का वित्त पोषण किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में 8623 स्वरोजगारियों के वित्त पोषण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 1231.87 ल0रू0 का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष माह अक्टूबर–2007 तक 3882 स्वरोजगारियों को लाभान्वित कराते हुए दिनांक 01.04.07 के अवशेष धनराशि 17.36 ला0रू0 को सम्मिलित करते हुए कुल उपलब्ध धनराशि 633.29 ला0रू0 के सापेक्ष 424.83 ला0रू0 व्यय किया गया है।